

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

100/2011

13.4.2011

रामदेव पुत्र जगन्नाथ जाति खटीक निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक (मृतक)
1/1-सीताराम पुत्र रामदेव जाति खटीक निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक
1/2-कैलाश पुत्र रामदेव जाति खटीक निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक
1/3-मन्नी पुत्री रामदेव जाति खटीक निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक
1/4-ललिता देवी पुत्री रामदेव जाति खटीक निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक
1/5-सीता देवी पुत्री रामदेव जाति खटीक निवासी महुवा तहसील व जिला टोंक
..... प्रार्थीगण

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956


उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण

(2) श्री रामधन सैनी व श्री दीपक शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 14.08.2023

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम महुवा तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 726 में से 1600 वर्गमीटर,खसरा नम्बर 727 में से 1200 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 728 में से 4500 वर्गमीटर कुल 7300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण 30 पेड नीम के,4-5 पेड बोर के,2पेड करुन्दा,6पेड देशी बम्बूल,दो पक्के कुएं निर्माण,पानी का टेंक,25 फीट का कमरा,टीनशेड,सिंचित, आबादी/व्यवसायिक/सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड-पौधो का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 1434,1435,1436/09 दिनांक 06.07.2010 को निरस्त कर दो पक्के कुएं निर्माण,पानी का टेंक,25 फीट का कमरा,टीनशेड,सिंचित, आबादी/व्यवसायिक/सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा भूमि पर लगे पेड-पौधो का मुआवजा दिलवाया जावे।



- 823 -

आरबीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली
1434, 1435, 1436 / 09 दिनांक 06.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी
गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 726,727 व 728
मे से कुल रकबा 7300 वर्गमीटर वाके ग्राम महूवा मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि
का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण
को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा
कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन
जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण
को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टर द्वारा प्राप्त बाजार भाव
मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का
निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म चाही-1, जाव-1 व नहरी-1 राजस्व रिकार्ड
मे अंकित थी। प्रार्थीगण सिंचित, आबादी / सडक के पास स्थित भूमि की दर से तथा
भूमि पर लगे पेड-पौधो की भूमि का मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नहीं
है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है
जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी।
जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड
पत्रावली तथा अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित
बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 726 मे
से 1600 वर्गमीटर, 727 मे से 1200 वर्गमीटर व 728 मे से 4500 वर्गमीटर किस्म जमीन
चाही-1, जाव-1 व नहरी-1 वाके ग्राम महूवा का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी)
अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा
भूमि का मुआवजा सिंचित, आबादी / व्यवसायिक / सडक के पास स्थित भूमि की दर
से तथा भूमि पर लगे पेड-पौधो तथा दो पक्के कुएं निर्माण, पानी का टैंक, 25 फीट का
कमरा, टीनशेड, का चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा इसकी तायद मे साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत
नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता
है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग
संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।
निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
ऑरिबीटर एन.एच.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)